परिशिष्ठ

(देखिय नियम–6)

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा–2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग–1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण :–

1.	क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।	राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 309 ए0 के रामेश्वर–गंगोलीहाट–बेरीनाग–चकोड़ी–काण्डा–बागेश्वर–ताकुला अल्मोड़ा मोटर मार्ग का टू–लेन में चौड़ीकरण लम्बाई 36.00 कि0मी0
	ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस–पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।	पत्रावली में संलग्न है
	ग) परियोजना की लागत।	38000.00 लाख
	घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	पूर्व निर्मित मार्ग का चौड़ीकरण किया जाना है।
	ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जानेके लिए)	संलग्न है।
	च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	
2.	कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरणं।	1. आरक्षित भूमि – 8.161 है0 2. संरक्षित भूमि – 4.839 है0 3. वन पंचायत भूमि – 4.775 है0 4. सिविल सोयम भूमि – 0.630 है0 5. नाप भूमि – 7.416 है0 **कुल भूमि – 25.821 है0**
3.	परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है	किसी भी परिवार को नहीं हटाया जाना है।
	क) परिवारों की संख्या	शून्य
	ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या	शून्य
	ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)	लागू नहीं है।
.4.	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ? (हां/नही)	नहीं

AAE

5.	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाये)	संलग्न है।
	निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावजेजों का ब्यौरा।	संलग्न है।

दिनांक.....

स्थान– अल्मोड़ा।

AAE

(इं0 महेन्द्र कुमार)
अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0,
रानीखेत।

प्रस्ताव की क्रम संख्या.....

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)